न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः आर. के. मीना, अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 02/2020, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल लक्ष्मण पुत्र श्री मनोहर सिंह जाति राजपूत उम्र 48 वर्ष निवासी रामगढ पचवारा थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा।

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति : लोक अभियोजक –राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।
: गैर सायल बावजूद तामील अनुपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः– 29.06.2022

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना रामगढ पचवारा दौसा जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल लक्ष्मण पुत्र श्री मनोहर सिंह जाति राजपूत उम्र 48 वर्ष निवासी रामगढ पचवारा थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा के विरूद्ध थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा में निम्नलिखित मुकदमे दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुआ हैः–

1. मु. सं. 230/14 दिनांक 6.10.2014 धारा 16/54 आबकारी अधिनियम थाना रामगढ पचवारा सजा 25.1.2016
2. मु. सं. 188/15 दिनांक 8.8.2015 धारा 16/54 आबकारी अधिनियम थाना रामगढ पचवारा सजा 9.10.2015
3. मु.नं. 197/18 दिनांक 15.9.2018 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम थाना रामगढ पचवारा सजा विचाराधीन न्यायालय

उक्त शख्स लक्ष्मण पुत्र श्री मनोहर सिंह जाति राजपूत उम्र 48 वर्ष निवासी रामगढ पचवारा थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा कच्ची व देसी शराब बेचने का आदि है। जिससे ईलाके के लोगो में भय व्याप्त है। वह लोगो को धमकी देता है। उक्त गैर सायल लक्ष्मण पुत्र श्री मनोहर सिंह जाति राजपूत उम्र 48 वर्ष निवासी रामगढ पचवारा थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)5 के अन्तर्गत पेश कर उक्त गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन की कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है। जिससे आमजन को कच्ची व देशी हथकड शराब के दुष्प्रेरण से बचाया जा सके।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। बहस लोक अभियोजक सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल लक्ष्मण पुत्र श्री मनोहर सिंह जाति राजपूत उम्र 48 वर्ष निवासी रामगढ पचवारा थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा का रहने वाला है। जो अवैध रूप से कच्ची व देसी शराब बेचने का आदि है। जिसके कारण ईलाके के लोगो में भय व्याप्त हो रहा है। वह लोगो को धमकी देता रहता है। जिसके कारण आमजन गलत व्यसन के शिकार हो रहे है एवं शराब के नशे में कई तरह के अपराध कारित करते रहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.27 13:08:20 IST
Reason: SelfAttested

प्र. सं. : 02/2020, गुण्डा एक्ट

गैर सायल लक्ष्मण पुत्र श्री मनोहर सिंह जाति राजपूत उम्र 48 वर्ष निवासी रामगढ पचवारा थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा के विरूद्ध थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा में धारा 16/54 आबकारी अधिनियम के तहत दो आपराधिक मुकदमे एवं धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत एक आपराधिक मुकदमा दर्ज होकर विगत वर्षो में 2 अपराधों में सजा हुई है एवं एक मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। गैर सायल लक्ष्मण पुत्र श्री मनोहर सिंह जाति राजपूत उम्र 48 वर्ष निवासी रामगढ पचवारा थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा अपनी आपराधिक गतिविधियों के कारण राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 **की धारा 3 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। गैर सायल लक्ष्मण पुत्र श्री मनोहर सिंह जाति राजपूत** उम्र 48 वर्ष निवासी रामगढ पचवारा थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा को जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है।

बहस लोक अभियोजक पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा **अनुसार गैर सायल लक्ष्मण पुत्र श्री मनोहर सिंह जाति राजपूत उम्र 48 वर्ष निवासी रामगढ पचवारा थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा अवैध रूप से कच्ची व देसी शराब बेचने का आदि है। जिसके कारण ईलाके** के लोगो में भय व्याप्त हो रहा है एवं गैर सायल पर आबकारी अधिनियम के तहत तीन मुकदमे थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा में दर्ज हो चुके है। जिसमे से दो आपराधिक मुकदमों में गैर सायल को सजा **भी हो चुकी है। गैर सायल उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में जिले में** कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आमजन को देसी व कच्ची शराब के गलत व्यसन एवं अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने के लिये ऐसे अपराधी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके।

उपरोक्त विवेचनानुसार इस्तगासा स्वीकार किया जाकर गैर सायल लक्ष्मण पुत्र श्री मनोहर सिंह जाति राजपूत उम्र 48 वर्ष निवासी रामगढ पचवारा थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा को दिनांक 01.07.2022 से 30 दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल बस्सी जिला जयपुर के रास्ते होते हुए थाना कानोता जिला जयपुर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी कानोता जिला जयपुर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र कानोता जिला जयपुर में निवास करते हुए प्रत्येक बुधवार को थानाधिकारी थाना कानोता जिला जयपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं जयपुर ग्रामीण को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

यह निर्णय **आज दिनांक 29.06.2022 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार** होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.27 13:08:20 IST
Reason: SelfAttested